न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 8/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्योजी पुत्र मंगला जाति रैगर नि0 ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 26-05-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हबसपुरा, पटवार हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 538/2 रकबा 1.5806 बारानी 4 श्योजी पुत्र मंगला जाति रैगर हि0 सम्पूर्ण निवासी ग्राम हबसपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार श्योजी पुत्र मंगला जाति रैगर का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई क़ब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमों की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 ए.डी. नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम हबसपुरा, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 538/2 रकबा 1.5806 राजस्व रिकॉर्ड में श्योजी पुत्र मंगला के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का हबसपुरा, तहसील फुलेरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार श्योजी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

सरकार बनाम श्योजी

8 / 2021

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 478 नायब तहसीलदार फुलेरा द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1984 की पालना में आवंटी श्योजी पुत्र मंगला जाति रैगर के नाम स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी श्योजी पुत्र मंगला के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.02.2021 के अनुसार आवंटी का कोई कब्जा नहीं है तथा अन्य खातेदार द्वारा काश्त की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति श्योजी पुत्र मंगला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी दर्ज है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है। यदि उक्त भूमि आवंटी, जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त की जा रही है तो प्रार्थी तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त विधि की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में चाराजोही किया जाना अपेक्षित है। यदि जांच पश्चात तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचता है कि प्रकरण 14(4) के तहत ही प्रस्तुत किया जाना है तो आवंटन दस्तावेज, आवंटी के पूर्ण पते व आवश्यक रिकार्ड के साथ प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 26 / 05 / 2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसला दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर
अति. जिला मजिस्ट्रेट